बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक – 31/8/2015

सं0– 16/ए.1–19/2013– 874 (स्वा0) /स्वा0, (दे0चि0), आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रदान करने के क्रम में प्राप्त चारित्रियों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि तीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी यथा– डा0 सीताराम चौधरी, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार शरीफ (नालन्दा), डा0 कृष्ण मोहन चौबे, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) एवं डा0 कर्पूरी प्रसाद, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंसूरचक, बेगूसराय द्वारा विभिन्न वर्षों की अपनी गोपनीय चारित्री स्वयं के द्वारा अभिलेखित की गई है जो सर्वथा अनुचित एवं नियम के विपरीत है।

2. उपरोक्त कृत्य के आलोक में तीनों आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, डा0 सीताराम चौधरी, डा0 कृष्ण मोहन चौबे एवं डा0 कर्पूरी प्रसाद को लघु दण्ड स्वरूप आगामी जुलाई 2016 की एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है।

3. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(देवचन्द्र चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 16/ए.1–19/2013– 874 (स्वा0) पटना/दिनांक – 31/8/2015

प्रतिलिपि–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना/अवर सचिव वित्त (वै0दा0नि0को0) बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/हाजीपुर (वैशाली)/बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, नालन्दा/हाजीपुर (वैशाली)/बेगूसराय/जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/हाजीपुर (वैशाली)/बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8
सरकार के अवर सचिव
31/8/15

D:\adhishuchana\depart proceeding.docx